सप्तदश

बिहार विधान सभा

अष्टम सत्र

तारांकित प्रश्न

वर्ग-1

सोमवार, तिथि 29 फाल्गुन, 1944 (श०) / 20 मार्च, 2023 (ई०)

प्रश्नों की कुल संख्या 64

(1)	गृह विभाग	..	..	36
(2)	सामान्य प्रशासन विभाग	..	..	04
(3)	वित्त विभाग	..	..	07
(4)	उद्योग विभाग	..	..	08
(5)	अल्पसंख्यक कल्याण विभाग	..	..	01
(6)	मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग	..	..	03
(7)	गन्ना उद्योग विभाग	..	..	02
(8)	सूचना एवं जन-सम्पर्क विभाग	..	..	01
(9)	सूचना प्रावैधिकी विभाग	..	..	02
			कुल योग --	64

प्रोसेसिंग उद्योग की स्थापना

*2094. श्री गोपाल रविदास (क्षेत्र संख्या-188 फुलवारी (अ0जा0))--क्या मंत्री, उद्योग विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि दक्षिण बिहार के पटना, नालन्दा, जहानाबाद आदि जिलों में दलहनी मसूर दाल जैसी फसलों की पैदावार भारी पैमाने पर होती है ;

(2) क्या यह बात सही है कि उक्त जिलों में भारी पैमाने पर मसूर दाल की पैदावार होने के बावजूद एक भी प्रोसेसिंग उद्योग की स्थापना नहीं होने से प्रोसेसिंग के लिये किसानों को अपना माल बाहर ले जाना पड़ता है, जिससे अतिरिक्त खर्च उठाना पड़ता है ;

(3) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार फुलवारीशरीफ विधान सभा के प्रखंड पुनपुन में मसूर प्रोसेसिंग उद्योग की स्थापना कराने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

मठ की चहारदीवारी निर्माण

*2095. श्री मनोज कुमार यादव (क्षेत्र संख्या-16 कल्याणपुर)--क्या मंत्री, गृह विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि पूर्वी चम्पारण जिलान्तर्गत प्रखंड कोटवा के अहिरौलिया पंचायत में अहिरौलिया कबीर पंथी मठ का चहारदीवारी नहीं है जिस कारण कुछ असमाजिक तत्वों द्वारा मठ की भूमि का अतिक्रमण किया जा रहा है, यदि हाँ, तो सरकार उक्त कबीर पंथी मठ की चहारदीवारी का निर्माण कार्य कबतक कराने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

आई0 टी0 पार्क का निर्माण

*2096. श्री विजय कुमार खेमका (क्षेत्र संख्या-62 पूर्णियाँ)--क्या मंत्री, सूचना प्रावैधिकी विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि पूर्णियाँ जिला मुख्यालय शिक्षा हब के रूप में विकसित हो रहा है, परंतु सीमांचल के शिक्षा हब में सूचना प्रावैधिकी के लिये कोई भी संस्थान कार्यरत नहीं रहने के कारण आई0 टी0 में रूची रखने वाले स्थानीय छात्रों को काफी कठिनाई होती है ;

(2) यदि हाँ, तो क्या सरकार आई0 टी0 में रूची रखने वाले छात्रों को रोजगार परक शिक्षा के लिये दरभंगा के तर्ज पर पूर्णियाँ में आई0 टी0 पार्क का निर्माण कराने का विचार रखती है, हाँ, तो कबतक, नहीं, तो क्यों ?

प्रभारी मंत्री--(1) आँशिक रूप से स्वीकारात्मक । पूर्णियाँ जिलान्तर्गत बिहार कौशल मिशन के तहत 4 कौशल विकास केन्द्रों के साथ-साथ सीमांचल क्षेत्र में कुल 9 (नौ) कौशल विकास केन्द्रों के माध्यम से आई0टी0 से संबंधित विभिन्न कोर्सों के लिये रोजगार परक प्रशिक्षण प्रदान किया जा रहा है।

(2) वर्तमान में पूर्णियाँ में आई0टी0 पार्क के निर्माण कराने का सूचना प्रावैधिकी विभाग के समक्ष कोई योजना विचाराधीन नहीं है ।

अनुदान राशि देना

*2097. श्री संदीप सौरभ (क्षेत्र संख्या-190 पालीगंज)--क्या मंत्री, गृह विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि पटना जिलान्तर्गत पालीगंज प्रखंड के परियों गाँव के निवासी श्री रामानुज कुमार जो सेना में (22 Maratha LI में कार्यरत) थे, की शहादत दिनांक 27 मई, 2022 को हो गई थी और इस संबंध में उनके लिये Battle Casualty Certificate भी जारी किया गया, लेकिन राज्य सरकार द्वारा उनके परिजनों को अबतक Battle Casualty के आधार पर अनुदान राशि नहीं दिया गया, यदि हाँ, तो सरकार शहीद रामानुज कुमार के परिजनों को Battle Casualty के तहत अनुदान राशि कबतक देने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

कब्रिस्तान की घेराबंदी

*2098. श्री मुकेश कुमार यादव (क्षेत्र संख्या-27 बाजपट्टी)--क्या मंत्री, गृह विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि सीतामढ़ी जिलान्तर्गत प्रखंड वोखड़ा के ग्राम-धनकौल एवं ग्राम-हरिनगर में अवस्थित कब्रिस्तानों की घेराबंदी नहीं हुई है, यदि हाँ, तो सरकार उक्त कब्रिस्तानों की घेराबंदी कबतक कराने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

सरकारी आवास का निर्माण

*2099. श्री मनोहर प्रसाद सिंह (क्षेत्र संख्या-67 मनिहारी (अ0ज0जा0))--क्या मंत्री, गृह विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि कटिहार जिला के मनिहारी प्रखंड अन्तर्गत अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी, मनिहारी के लिये सरकारी आवास नहीं है, यदि हाँ, तो क्या सरकार उनके लिये आवास निर्माण करवाने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

राशि का भुगतान

*2100. श्री सूर्यकान्त पासवान (क्षेत्र संख्या-147 बखरी (अ0जा0))--क्या मंत्री, वित्त विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि बेगूसराय जिलान्तर्गत सहारा इंडिया नन-बैंकिंग कम्पनी शाखा बखरी, बेगूसराय में सतोदास खाता संख्या 16433701892 सहारा 'ए' सेलेक्ट राशि 40,000 मात्र, दूसरे खाताधारक पोषण पासवान 16434201072 सहारा 'ए' सेलेक्ट राशि 26,000 मात्र और अन्य खाताधारक बिजली देवी, खाता संख्या 1693372862 सहारा 'ए' सेलेक्ट राशि 26,000 मात्र एवं अन्य निवेशकों द्वारा निवेश किया गया है, लेकिन एक वर्ष पूर्ण होने के बाद भी आजतक उक्त खाताधारकों की राशि का भुगतान नहीं किया गया है, यदि हाँ, तो सरकार उक्त खाताधारकों को राशि का भुगतान कबतक कराने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

कब्रिस्तान की घेराबंदी

*2101. श्री लाल बाबू प्रसाद गुप्ता (क्षेत्र संख्या-20 चिरैया)--क्या मंत्री, गृह विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि पूर्वी चंपारण जिलांतर्गत चिरैया विधान सभा क्षेत्र के पताही प्रखंड अन्तर्गत बाराशंकर पंचायत के बाराशंकर में अवस्थित कब्रिस्तान की घेराबंदी नहीं होने के कारण जमीन का अतिक्रमण हो रहा है, यदि हाँ, तो सरकार कबतक उक्त कब्रिस्तान की घेराबंदी कराने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

अनुवाद करना

*2102. श्री अजय कुमार सिंह (क्षेत्र संख्या-166 जमालपुर)--क्या मंत्री, मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि बिहार राज्य गजेटियर में ऐतिहासिक एवं महत्वपूर्ण तथ्यपरक जानकारियाँ अंग्रेजी भाषा में होती हैं जबकि यहाँ रहने वाले लोग हिन्दी अथवा उर्दू की समझदारी रखते हैं, यदि हाँ, तो क्या सरकार बिहार राज्य एवं उसकी जिलावार गजेटियर का अनुवाद हिन्दी एवं उर्दू भाषा में करवाने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

कब्रिस्तानों की घेराबंदी

*2103. श्री मनोज मंजिल (क्षेत्र संख्या-195 अगिआँव (अ0 जा0))--क्या मंत्री, गृह विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि भोजपुर जिलान्तर्गत प्रखंड-चरपोखरी के ग्राम-ठेंघवा और ग्राम-भलुआना के कब्रिस्तान की घेराबंदी अभीतक नहीं हुई है, जिसके कारण वहां की विधि व्यवस्था संवेदनशील बनी हुयी है, यदि हाँ, तो सरकार उक्त कब्रिस्तानों की घेराबंदी कबतक करने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

राशि का भुगतान

*2104. श्री सुर्यकान्त पासवान (क्षेत्र संख्या-147 बखरी (अ0 जा0))--क्या मंत्री, वित्त विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि सहारा इंडिया नन बैंकिग कंपनी शाखा-बखरी, बेगूसराय में जहुर आलम खाता संख्या 16436401274 सहारा 'ए' सेलेक्ट राशि 100000 मात्र, दूसरा खाता 16436401776 सहारा 'ए' सेलेक्ट राशि 75158 मात्र और अन्य खाता 16436401275 सहारा 'ए' सेलेक्ट राशि 100000 मात्र एवं अन्य निवेशकों द्वारा निवेश किया गया है, किन्तु एक वर्ष पूर्ण होने के बाद भी आजतक राशि का भुगतान नहीं किया गया है, यदि हाँ, तो सरकार उक्त खाताधारकों की राशि का भुगतान कबतक कराने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

एक्सपोर्ट कॉरपोरेशन को पुनर्जीवित किया जाना

*2105. श्री राघवेन्द्र प्रताप सिंह (क्षेत्र संख्या-193 बड़हरा)--क्या मंत्री, उद्योग विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि राज्य के विकास में औद्योगिक विकास की अहम भूमिका होने के बावजूद मात्र 5 करोड़ लायबलिटी के चलते राज्य एक्सपोर्ट कॉरपोरेशन बंद पड़ा हुआ है यदि हाँ, तो सरकार बिहार में एक्सपोर्ट कॉरपोरेशन को पुनर्जीवित कराने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

औचित्य बतलाना

*2106. श्री विजय कुमार सिंह उर्फ डब्लू सिंह (क्षेत्र संख्या-221 नवीनगर)--दैनिक समाचार-पत्र के दिनांक 16 जनवरी, 2023 के अंक में छपी शीर्षक ''आई०ए०एस० में प्रमोशन नहीं होने से बिप्रसे से नहीं बना पा रहे विशेष सचिव, अवर-सचिव और संयुक्त सचिव'' खबर के आलोक में क्या मंत्री, सामान्य प्रशासन विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि राज्य के निर्धारित आई०ए०एस० अधिकारियों के कोटे में 33 फीसदी पद राज्य सिविल सेवा के अधिकारियों को प्रोन्नति देकर भरे जाते है, जिनमें से 15 फीसदी पद गैर प्रशासनिक सेवा के पदाधिकारियों को प्रोन्नति देकर भरने का प्रावधान है ;

(2) क्या यह बात सही है कि राज्य सरकार के सामान्य प्रशासन विभाग की कार्य में शिथिलता के कारण राज्य अभियंत्रण सेवा, वित्त सेवा, शिक्षा सेवा आदि सेवाओं के अधिकारियों की प्रोन्नती नहीं हो रही है, जिससे विशेष सचिव, अवर-सचिव और संयुक्त सचिव संवर्ग के 535 पद रिक्त हैं ;

(3) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो नियमानुकूल ससमय प्रोन्नति नहीं देने का क्या औचित्य है ?

कब्रिस्तान की घेराबन्दी

*2107. श्री मुकेश कुमार यादव (क्षेत्र संख्या-27 बाजपट्टी)--क्या मंत्री, गृह विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि सीतामढ़ी जिला अन्तर्गत प्रखंड बोखड़ा के ग्राम झिटकी और ग्राम-धर्मपुर में अवस्थित कब्रिस्तानों को घेराबंदी नहीं हुई है, यदि हाँ, तो सरकार उक्त कब्रिस्तानों की घेराबंदी कबतक कराने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

जिला का दर्जा दिलाना

*2108. श्रीमती मंजू अग्रवाल (क्षेत्र संख्या-226 शेरघाटी)--क्या मंत्री, सामान्य प्रशासन विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि गया जिलान्तर्गत शेरघाटी अनुमंडल बिहार राज्य का सबसे बड़ा एवं कफी पुराना अनुमंडल है, जिसके अंतर्गत 09 अंचल/प्रखण्ड, 09 थाना, आबादी लगभग 15 लाख एवं लगभग 1500 गाँव आते हैं और यह जिला निर्माण हेतु सारी अहर्ताएं पूरी करता है, इसके बावजूद भी इस अनुमंडल को जिला का दर्जा नहीं दिया गया है, यदि हाँ, तो सरकार शेरघाटी अनुमंडल को जिला का दर्जा कबतक दिलाने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

प्रभारी मंत्री--वस्तुस्थिति यह है कि राज्य में जिला/अनुमंडल/प्रखंड/अंचल के पुनर्गठन हेतु ''मंत्रियों के समूह'' का गठन माननीय उप मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में किया गया है, साथ ही मंत्रियों के समूह के समक्ष प्रस्ताव रखने हेतु ''सचिवों की समिति'' गठित है। सचिवों की समिति द्वारा लिये गये निर्णय के आलोक में विभिन्न प्रशासनिक इकाइयों के पुनर्गठन हेतु जिला पदाधिकारी तथा प्रमंडलीय आयुक्त के माध्यम से प्राप्त औचित्यपूर्ण प्रस्ताव संलेख के माध्यम से ''सचिवों की समिति'' के समक्ष विचारार्थ रखा जाना है। प्रस्ताव भेजने हेतु सभी जिला पदाधिकारी/पुलिस अधीक्षक से अनुरोध किया गया है।

वर्तमान में भारत सरकार के गृह मंत्रालय, नई दिल्ली के पत्रांक-9/3/2019-CD (Cen), दिनांक 02 जनवरी, 2023 के आलोक में राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग, बिहार की अधिसूचना सं0-65, दिनांक 25 जनवरी, 2023 द्वारा प्रशासनिक इकाइयों की सीमा में दिनांक 30 जून, 2023 तक परिवर्तन नहीं किये जाने का आदेश संसुचित है ।

इस प्रकार शेरघाटी अनुमंडल को जिला बनाने हेतु सम्प्रति प्रस्ताव नहीं है।

कब्रिस्तान की घेराबंदी

*2109. श्री रणविजय साहू (क्षेत्र संख्या-135 मोरवा)--क्या मंत्री, गृह विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि समस्तीपुर जिला अन्तर्गत नगर परिषद् ताजपुर के वार्ड नं0-23 में गांधी चौक मोरवा रोड के किनारे अवस्थित कब्रिस्तान जिसका खाता नं0-317, 318, 254, 433, 267, 162, 348 एवं खेसरा नं0-2968, 2969, 2970, 2972, 2975, 2976 की घेराबंदी नहीं होने के कारण आवारा पशुओं और असामाजिक तत्वों का वहाँ आना-जाना लगा रहता है, यदि हाँ, तो सरकार उक्त कब्रिस्तान की घेराबंदी कबतक कराने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

थाना परिसर की घेराबंदी

*2110. श्री शकील अहमद खाँ (क्षेत्र संख्या-64 कदवा)--क्या मंत्री, गृह विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि कटिहार जिला अन्तर्गत डण्डखोरा थाना के परिसर की घेराबंदी नहीं हुई है, जिसके कारण थाना परिसर में हमेशा आवारा पशुओं का आवागमन होता रहता है जिसके कारण थाना में पदस्थापित पुलिस कर्मियों को कर्तव्य का पालन करने में कठिनाई होती है, यदि हाँ, तो सरकार उक्त थाना के परिसर की घेराबंदी कबतक कराने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

चालू करना

*2111. श्रीमती शालिनी मिश्रा (क्षेत्र संख्या-15 केसरिया)--क्या मंत्री, गन्ना उद्योग विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि बिहार राज्य चीनी निगम के अधीन गया का गुरारू, नवादा का वारसिलिगंज के 2 डिस्टलरी इकाई बंद है, यदि हाँ, तो सरकार उक्त बंद पड़े 2 डिस्टिलरी इकाई को कबतक चालू करने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

ओ0पी0 खोलना

*2112. श्री जनक सिंह (क्षेत्र संख्या-116 तरैया)--क्या मंत्री, गृह विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि सारण जिला अन्तर्गत तरैया प्रखंड में माझोपुर चौक में ओ0 पी0 नहीं रहने एवं तरैया थाना की दूरी 08 कि0 मी0 होने के कारण विगत 10 वर्षों से आपराधिक घटनाएँ होती रहती हैं, यदि हाँ, तो क्या सरकार उक्त स्थान में ओ0 पी0 खोलने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

थाना भवन का निर्माण

*2113. श्री प्रेम शंकर प्रसाद (क्षेत्र संख्या-99 बैकुण्ठपुर)--क्या मंत्री, गृह विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि गोपालगंज जिलान्तर्गत बैकुंठपुर थाना भवन का निर्माण कार्य वर्ष 2020 में शुरू हुआ था किन्तु थाना भवन के निर्माण में असामाजिक तत्व द्वारा बाधा उत्पन्न कर निर्माण कार्य रूकवा दिया गया है जबकि इस थाना का कार्यक्षेत्र गंडक नदी के दियारा क्षेत्र बाढ़ग्रस्त इलाका, एस0एच0 एवं एन0एच0 से जुड़े होने के कारण अत्यधिक संवेदनशील है, यदि हाँ, तो सरकार उक्त वर्णित थाना भवन निर्माण में आयी रूकावट का निराकरण कराकर निर्माण कार्य कबतक पुरा कराने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

न्यूनतम ऊँचाई में छूट देना

*2114. श्री अनिल कुमार (क्षेत्र संख्या-24 बथनाहा (अ0 जा0))--क्या मंत्री, गृह विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि बिहार पुलिस अवर सेवा आयोग बिहार सरकार (आरक्षी शाखा) के अंतर्गत पुलिस अवर निरीक्षक एवं प्रारक्ष अवर निरीक्षक (परिचारी) के रिक्त पदों पर संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा के आधार पर नियुक्ति की जाती है ;

(2) क्या यह बात सही है कि मुख्य परीक्षा उत्तीर्ण अभ्यर्थियों के लिए शारीरिक दक्षता परीक्षा में सामान्य वर्ग एवं पिछड़ा वर्ग के पुरूषों के लिए न्यूनतम ऊँचाई 165 सेंटीमीटर तथा अत्यंत पिछड़ा वर्ग, अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जन-जाति पुरूषों के लिए सामान्य से 5 सेंटीमीटर कम यानी न्यूनतम ऊँचाई 160 सेंटीमीटर निर्धारित किया गया है तथा सभी वर्गों की महिला अभ्यर्थियों को लिए न्यूनतम ऊँचाई 155 सेंटीमीटर निर्धारित किया गया है ;

(3) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार अत्यंत पिछड़ा वर्ग, अनुसूचित जाति एवं जन-जाति महिला अभ्यर्थियों के न्यूनतम ऊँचाई में भी 5 सेंटीमीटर छूट देने का विचार रखती है, हाँ, तो कबतक, नहीं, तो क्यों ?

बैंक की शाखा खोलना

*2115. श्री जनक सिंह (क्षेत्र संख्या-116 तरैया)--क्या मंत्री, वित्त विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि सारण जिला अन्तर्गत ईशुआपुर प्रखंड के निपनियाँ ग्राम एवं सहवां बाजार में कोई बैंक की शाखा नहीं रहने से आमजनता सहित व्यापारियों को कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है, यदि हाँ, तो क्या सरकार उक्त स्थानों में बैंक की शाखा खोलने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

प्रभारी मंत्री--सारण जिलान्तर्गत ईशुआपुर प्रखंड के निपनियाँ ग्राम एवं सहवां बाजार के 5 कि०मी० के दायरे में भारतीय स्टेट बैंक की 01 शाखा तथा 6 ग्राहक सेवा केन्द्र स्थित है। इनके माध्यम से यहां के निवासियों को बैंकिंग सुविधा उपलब्ध करायी जा रही है।

इनके अतिरिक्त ईशुआपुर प्रखंड अन्तर्गत भारतीय स्टेट बैंक की 01 शाखा, केनरा बैंक की 01 शाखा, एच०डी०एफ०सी० बैंक की 01 शाखा तथा उत्तर बिहार ग्रामीण बैंक की 02 शाखा अर्थात कुल 05 शाखाएं एवं विभिन्न बैंकों की 14 ग्राहक सेवा केन्द्र कार्यरत है।

मूलत: बैंक शाखा/आउटलेट खोलने का निर्णय बैंकों के द्वारा व्यावसायिक उद्देश्यों एवं वाणिज्यिक व्यवहार्यता के आधार पर लिया जाता है।

नियुक्ति करना

*2116. श्री नीतीश मिश्रा (क्षेत्र संख्या-38 झंझारपुर)--स्थानीय हिन्दी दैनिक समाचार-पत्र में दिनांक 13 दिसम्बर, 2022 को प्रकाशित शीर्षक "प्रदेश भर से खेल कोटे से मांगी गयी रिक्तियाँ" के आलोक में ध्यान रखते हुये क्या मंत्री, सामान्य प्रशासन विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि राज्य सरकार ने खेल कोटे से होनेवाली नियुक्ति हेतु सभी जिला पदाधिकारियों से खेल कोटे की रिक्ति की माँग की गयी है तथा विगत 7 सालों से खेल कोटे से नियुक्ति नहीं हुयी है ;

(2) क्या यह बात सही है कि जिलों में रिक्त की संख्या के अभाव में निम्नवर्गीय लिपिक एवं परिचारी पद रिक्त रह जाते हैं ;

(3) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो सरकार खेल कोटे से होने वाली नियुक्ति कबतक करने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

हाई स्पीड सर्वर लगवाना

*2117. श्री विनय कुमार (क्षेत्र संख्या-225 गुरूआ)--क्या मंत्री, सूचना एवं प्रावैधिकी विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि गया जिला के गुरूआ विधान सभा क्षेत्र अन्तर्गत गुरूआ, गुरारू तथा परैया प्रखंड मुख्यालय में आर०टी०पी०एस० सर्वर दिन के समय नहीं के बराबर चलता है, यदि चलता है भी तो गति काफी धीमी रहती है ;

(2) क्या यह बात सही है कि उक्त प्रखंड मुख्यालयों में आर०टी०पी०एस० सर्वर स्पीड कम होने के कारण संबंधित कार्य जैसे छात्र/छात्राओं को जाति, आवासीय प्रमाण-पत्र निर्गत कराने में काफी विलंब और कठिनाई होती है ;

(3) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार उक्त प्रखंड मुख्यालयों में हाई स्पीड सर्वर लगवाने का विचार रखती है, हाँ, तो कबतक, नहीं, तो क्यों ?

प्रभारी मंत्री--(1) अस्वीकारात्मक है । ज्ञातव्य हो कि सर्विस प्लस पोर्टल का सर्वर केन्द्रीयकृत रूप से स्टेट डाटा सेंटर पटना में स्थापित है। अत: सर्वर स्पीड समान रूप से राज्य के सभी प्रखण्डों में परिलक्षित होगा। यह भी पाया गया है कि 1 जनवरी, 2023 से 28 फरवरी, 2023 तक गुरूआ में 6798 गुरारू में 5789 एवं परैया में 4886 आवेदन प्राप्त हुआ था, जो कि समय-सीमा के अन्तर्गत निष्पादित भी कर लिये गये।

(2) अस्वीकारात्मक। कंडिका (1) में स्थिति स्पष्ट कर दी गयी है ।

(3) कंडिका (1) में स्थिति स्पष्ट कर दी गयी है।

कब्रिस्तान की घेराबंदी

*2118. श्रीमती नीतू कुमारी (क्षेत्र संख्या-236 हिसुआ)--क्या मंत्री, गृह विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि नवादा के जिला पदाधिकारी एवं पुलिस अधीक्षक द्वारा संयुक्त रूप से गृह विभाग को समर्पित कब्रिस्तानों की वरीयता सूची के क्रमांक 69 पर हिसुआ प्रखंड अन्तर्गत नसरतपुर, फुलवरिया के कब्रिस्तान की घेराबन्दी प्रस्तावित है, यदि हाँ, तो सरकार उक्त कब्रिस्तान की कबतक घेराबन्दी कराने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

भुगतान करना

*2119. श्रीमती शालिनी मिश्रा (क्षेत्र संख्या-15 केसरिया)--क्या मंत्री, गन्ना उद्योग विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि बिहार ईख अधिनियम, 1981 के तहत गन्ना काश्तकारों द्वारा चीनी मिलों को की गयी गन्ना की आपूर्ति का भुगतान 14 दिनों के अन्दर सूद सहित करने का प्रावधान है ;

(2) क्या यह बात सही है कि पेराई वर्ष 2022-23 में दिनांक 13 फरवरी, 2023 तक सुगौली चीनी मिल द्वारा 1702.72 लाख रुपये, हरिनगर चीनी मिल द्वारा 170.20 लाख रुपये का भुगतान अबतक किसानों को नहीं किया गया है ;

(3) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो कबतक सरकार किसानों के बकाये राशि का सूद सहित भुगतान कराने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

उपस्करों की खरीद करना

*2120. श्री संजय सरावगी (क्षेत्र संख्या-83 दरभंगा)--क्या मंत्री, सामान्य प्रशासन विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि सरकार के द्वारा किसी नये कार्यालय को स्थायी स्थापना के बाद उसमें उपयोग होने वाले उपस्कर की खरीद किये जाने का प्रावधान है ;

(2) क्या यह बात सही है कि गया में विपार्ड का नया प्रशिक्षण कार्यालय की स्थापना की गयी है, जहां उपयोग किये जाने वाले सभी उपस्करों को एक खास एजेंसी से भाड़े पर लिया गया है एवं उसे प्रतिमाह 10,00,000 से अधिक का भुगतान किया जा रहा है ;

(3) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार इस अनियमितता की जाँच कराते हुये विपार्ड भवन गया के लिये स्थायी उपस्करों की खरीद का विचार रखती है, यदि नहीं, तो क्यों ?

निर्माण कराना

*2121. श्री विजय कुमार मंडल (क्षेत्र संख्या-51 सिकटी)--क्या मंत्री, गृह विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि अररिया जिलान्तर्गत कुर्साकाँटा प्रखंड के सिकटिया पंचायत में सोनामणि गोदाम थाना एक हाई स्कूल में चलता है, जिससे पुलिसकर्मियों को काफी परेशानी होती है, यदि हाँ, तो क्या सरकार उक्त पुलिस थाना का भवन निर्माण कराने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

नवीनीकरण एवं सौंदर्यीकरण करना

*2122. श्री विद्या सागर केशरी (क्षेत्र संख्या-48 फारबिसगंज)--क्या मंत्री, मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि बिहार सरकार ने मधुबनी, मुंगेर, मोतिहारी सहित 18 हवाई अड्डों के नवीनीकरण एवं सौंदर्यीकरण करने का निर्णय लिया है ;

(2) क्या यह बात सही है कि सामरिक दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण अररिया जिला के फारबिसगंज हवाई अड्डा को उक्त योजना में नहीं जोड़ा गया है, जबकि वर्णित हवाई अड्डा सीमा क्षेत्र नेपाल से सटे एवं 1962 के भारत चीन युद्ध का एक प्रमुख हवाई अड्डा केन्द्र रहा है ;

(3) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो सरकार फारबिसगंज हवाई अड्डा का नवीनीकरण एवं सौंदर्यीकरण कबतक कराने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

उद्योग का दर्जा देना

*2123. श्री अजीत शर्मा (क्षेत्र संख्या-156 भागलपुर)--क्या मंत्री, उद्योग विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि देश में चाय उत्पादन के मामले में बिहार छठे स्थान पर है, परंतु चाय उत्पादन को उद्योग का दर्जा नहीं रहने के कारण चाय उत्पादकों को प्रोत्साहन नहीं मिल पा रहा है, यदि हाँ, तो सरकार कबतक चाय उत्पादन को उद्योग का दर्जा देने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

प्रभारी मंत्री--वर्तमान में बिहार औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन नीति, 2016 प्रभावी है । बिहार में चाय उत्पादन करने वाली इकाई को खाद्य प्रसंस्करण प्रेक्षेत्र के अंतर्गत प्राथमिकता सूची में रखा गया है ।

चहारदीवारी का निर्माण

*2124. श्री अरूण सिंह (क्षेत्र संख्या-213 काराकाट)--क्या मंत्री, गृह विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि रोहतास जिलान्तर्गत काराकाट विधान सभा क्षेत्र के प्रखंड काराकाट में समहुता ग्राम के नजदीक अवस्थित अतिप्राचीन दीपक ब्रह्मस्थान की चहारदीवारी नहीं होने के कारण उक्त स्थल के भूमि का अतिक्रमण किया जा रहा है, यदि हाँ, तो क्या सरकार उक्त स्थल की चहारदीवारी कराने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

खादी मॉल बनवाना

*2125. श्रीमती गायत्री देवी (क्षेत्र संख्या-25 परिहार)--क्या मंत्री, उद्योग विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि सीतामढ़ी जिला के सीतामढ़ी शहर के मेन बाजार में 12 कट्ठे से अधिक जमीन है जो खाली पड़ा हुआ है और यह खादी भंडार की जमीन है ;

(2) क्या यह बात सही है कि उक्त जमीन खादी भंडार के मॉल बनवाने हेतु सभी अर्हताएँ पूर्ण करती है ;

(3) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार उक्त खाली जमीन पर खादी मॉल बनाने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

भुगतान करना

*2126. श्री अजय कुमार (क्षेत्र संख्या-138 विभूतिपुर)--क्या मंत्री, वित्त विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि समस्तीपुर जिला के सिटी ब्रांच समस्तीपुर, सहारा द्वारा मनोज कुमार गुप्ता, खाता संख्या 10280952513 एवं वैशाली जिला के गोरौल ब्रांच ऑफिस सहारा द्वारा सुन्दर कुमारी, खाता संख्या 26286901094 को मैच्युरिटी पूरा होने के बावजूद राशि का भुगतान नहीं किया जा रहा है, यदि हाँ, तो सरकार उक्त पीड़ितों की परिपक्वता राशि का भुगतान कबतक कराने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

लोन को माफ करना

*2127. श्री मोहम्मद नेहालउद्दीन (क्षेत्र संख्या-224 रफीगंज)--क्या मंत्री, वित्त विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि औरंगाबाद जिला अंतर्गत प्रखंड रफीगंज एवं मदनुपर के मध्य ग्रामीण बैंक एवं पंजाब नेशनल बैंक, इत्यादि बैंकों से किसानों एवं गरीबों को लोन (कर्ज) 10 वर्ष पूर्व दिया गया था ;

(2) क्या यह बात सही है कि अभीतक किसानों से लोन के नाम पर 04 (चार) गुणा पैसा वसूला जा रहा है एवं किसानों को पैसा वसूलने के नाम पर परेशान किया जा रहा है, जबकि फसल बर्बाद होने के कारण वो लोन चुकाने में असमर्थ है ;

(3) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार मध्य ग्रामीण बैंक एवं पंजाब नेशनल बैंक इत्यादि बैंकों से किसानों एवं गरीबों द्वारा लिये गये लोन (कर्ज) को माफ करने का विचार रखती है, यदि हाँ, तो कबतक, नहीं, तो क्यों ?

खाना देना

*2128. श्री अजीत कुमार सिंह (क्षेत्र संख्या-201 डुमराँव)--क्या मंत्री, गृह विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि बक्सर सेन्ट्रल जेल में जेल मैन्युअल के अनुसार निर्धारित खाना बंदियों व कैदियों को नहीं मिलता है जिससे बीमार और बुजुर्ग बंदियों को परेशानी हो रही है, यदि हाँ, तो सरकार कबतक जेल मैन्युअल के अनुसार बंदियों को खाना देने तथा बीमार और बुजुर्ग बंदियों को उनके आवश्यकताअनुसार खाना देने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

कार्रवाई करना

*2129. श्री पवन कुमार जासवाल (क्षेत्र संख्या-21 ढाका)--क्या मंत्री, मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि मानवजनित तथा प्राकृतिक आपदाओं के समय सहयोग करने तथा राष्ट्रीय एकता, अखंडता, सामाजिक समरसता एवं सद्भाव कायम रखने के उद्देश्य से राज्य स्तर, जिला स्तर, थाना स्तर पर नागरिक परिषद् का गठन वर्ष 2020 में करना था लेकिन आजतक इसका गठन नहीं किया गया है, यदि हाँ, तो सरकार राज्य में जिला एवं थाना स्तर पर नागरिक परिषद् गठित कराने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

विचार करना

'क'-*2130. श्री राम विशुन सिंह (क्षेत्र संख्या-197 जगदीशपुर)--क्या मंत्री, गृह विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि भोजपुर जिलान्तर्गत जगदीशपुर प्रखंड के देवटोला ग्राम निवासी राधा मोहन सिंह के पुत्र शहीद रमेश रंजन दिनांक 2 मई, 2020 को आतंकवादियों से लोहा लेते हुये दो आतंकवादियों को मारकर शहीद हो गये थे राष्ट्रपति द्वारा इन्हें 15 अगस्त, 2022 को पुलिस वीरता पदक दिया गया ;

(2) क्या यह बात सही है कि 2020 में ही सी०आर०पी०एफ० शहीद खुर्शीद खान की वीर नारी की नियुक्ति स्वास्थ्य विभाग, विक्रमगंज में हुई है एवं शहीद लवकुश शर्मा की वीर नारी अनिता कुमारी की नियुक्ति जिलाधिकारी कार्यालय, जहानाबाद में हुई है ;

(3) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार शहीद सी०आर०पी०एफ० रमेश रंजन की वीर नारी बेबी राय को सरकारी नौकरी देने का विचार रखती है, यदि हाँ, तो कबतक, नहीं, तो क्यों ?

पुलिस ओ०पी० स्थापित करना

*2131. श्री अरूण शंकर प्रसाद (क्षेत्र संख्या-33 खजौली)--क्या मंत्री, गृह विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि मधुबनी जिलान्तर्गत बासोपट्टी थाना से खौना, महिनाथपुर, छतौनी पंचायतों की दूरी 10 से 15 कि०मी० है, जबकि उक्त पंचायत भारत-नेपाल सीमा पर अवस्थित है ;

(2) क्या यह बात सही है कि थाना से अधिक दूरी होने के कारण अपराध नियंत्रण में काफी कठिनाई होती है और आपराधिक घटनाओं में वृद्धि हो रही है ;

(3) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार उक्त एन०एच० 227 के किनारे छतौनी में पुलिस ओ०पी० स्थापित करने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

कब्रिस्तान की घेराबंदी

*2132. श्री संतोष कुमार मिश्र (क्षेत्र संख्या-209 करगहर)--क्या मंत्री, गृह विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि रोहतास जिला के करगहर विधान सभा अन्तर्गत के प्रखंड कोचस के ग्राम-गारा एवं ग्राम-सारंगपुर में कब्रिस्तान की घेराबंदी नहीं की गई है, जिसके कारण कब्रिस्तान की जमीन का अतिक्रमण हो रहा है, यदि हाँ, तो सरकार उक्त कब्रिस्तान की घेराबंदी कबतक कराने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

कब्रिस्तान की घेराबंदी

*2133. श्री रणविजय साहू (क्षेत्र संख्या-135 मोरवा)--क्या मंत्री, गृह विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि समस्तीपुर जिला के मोरवा प्रखंड अंतर्गत बनबीरा पंचायत के महमदपुर वार्ड नं० 14 में तथा ताजपुर प्रखंड के कोठिया पंचायत के वार्ड नं० 2 में कब्रिस्तान अवस्थित है जिसकी घेराबंदी नहीं होने के कारण आवारा पशुओं और असामाजिक तत्वों का आवागमन होता है, यदि हाँ, तो सरकार कबतक उक्त कब्रिस्तान की घेराबंदी कराने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

नोट-- 'क'- सामान्य प्रशासन विभाग के ज्ञापांक 167, दिनांक 10 मार्च, 2023 के द्वारा गृह विभाग में स्थानांतरित ।

दैनिक भत्ता देना

*2134. श्री मनोज मंजिल (क्षेत्र संख्या-195 अगिआँव (अ०जा०))--क्या मंत्री, गृह विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि बिहार पुलिस मुख्यालय के पत्रांक 346, दिनांक 16 मार्च, 2021 द्वारा निर्गत पत्र के अनुसार सांसदों विधायकों को प्राप्त सुरक्षा गार्ड को अब 6 माह से अधिक अवधि का दैनिक भत्ता नहीं दिया जायेगा, दैनिक भत्ता प्राप्त करने के लिये उन्हें खुद हट जाना पड़ेगा या माननीय सदस्यों द्वारा हटा देना मजबूरी होगी जबकि माननीय सदस्यों को यह अधिकार दिया गया है कि वे अपने कार्यकाल के दौरान जिसे चाहें और जबतक चाहें सुरक्षा गार्ड के रूप में रख सकते हैं, यदि हाँ, तो सरकार सदस्यों के सुरक्षा गार्ड के लिये पूरे साल का दैनिक भत्ता देने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

कब्रिस्तान की घेराबंदी

*2135. श्री ललन कुमार (क्षेत्र संख्या-154 पीरपैंती (अ०जा०))--क्या मंत्री, गृह विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि भागलपुर जिलान्तर्गत पीरपैंती प्रखंड के पीरपैंती बाजार एवं हरदेवचक पंचायत के बाबूपुर ग्राम में कब्रिस्तान की घेराबंदी नहीं की गई है जिसके कारण तनाव की स्थिति उत्पन्न हो जाती है, है, यदि हाँ, तो सरकार उक्त कब्रिस्तानों की घेराबंदी कराने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

शारीरिक परीक्षण में रियायत देना

*2136. श्री नीतीश मिश्रा (क्षेत्र संख्या-38 झंझारपुर)--क्या मंत्री, गृह विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि गृह विशेष विभाग, बिहार, पटना द्वारा विज्ञापन सं० 2/11 के द्वारा वर्ष 2011 में बिहार गृह रक्षा वाहिनी में गृह रक्षकों में कुल 11,122 (ग्यारह हजार एक सौ बाईस) पदों पर नामांकन हेतु विज्ञापन दिया गया है ;

(2) क्या यह बात सही है कि विगत 11-12 वर्षों बाद उक्त अभ्यर्थियों की उम्र 45-50 वर्ष होने के कारण फरवरी, 2023 में शारीरिक परीक्षण मापदंड के अनुरूप सक्षम नहीं है ;

(3) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार उक्त विज्ञापन की नियुक्ति में हुई देरी के कारण एवं भुक्तभोगी अभ्यर्थियों को शारीरिक परीक्षण में रियायत देने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

किराया भत्ता का भुगतान

*2137. श्री महबूब आलम (क्षेत्र संख्या-65 बलरामपुर)--क्या मंत्री, वित्त विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि मंहगाई भत्ता में 25% से अधिक वृद्धि होने के पश्चात् केन्द्र सरकार ने केन्द्रीय कर्मियों के मकान किराया भत्ता के दर में भी संशोधन किया है, यदि हाँ, तो क्या सरकार केन्द्रीय कर्मियों के अनुरूप राज्यकर्मियों को भी परिवर्तित दर पर मकान किराया भत्ता देने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

कार्रवाई करना

*2138. श्री पवन कुमार जायसवाल (क्षेत्र संख्या-21 ढाका)--क्या मंत्री, गृह विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि राज्य के सभी थानों में 2,13,530 कांडों का प्रभार केस के आई0 ओ0 द्वारा सेवानिवृत्ति, स्थानान्तरण, निलम्बन होने के कारण नहीं देने से संबंधित केस का अनुसंधान लम्बित है ;

(2) क्या यह बात सही है कि ए0डी0जी0 मुख्यालय द्वारा वर्ष 2022 में सभी जिलों के पुलिस अधीक्षकों को सेवानिवृत्ति, स्थानान्तरण आदि मामले में केस के आई0ओ0 से सीधा प्रभार थाना प्रभारी को 20 मई तक लेने का निर्देश दिया गया है ;

(3) क्या यह बात सही है कि दूसरे जिलों में स्थानान्तरित आई0ओ0 को प्रतिनियुक्ति प्रभार देने के लिये कुछ दिनों तक संबंधित थाना में करने का निर्देश मई, 2022 में निर्गत किया गया है ;

(4) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो सरकार संबंधित कांडों के आई0ओ0 के विरुद्ध कार्रवाई करने तथा कांडों का अनुसंधान समय-सीमा में कराने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

औद्योगिक इकाई लगवाना

*2139. श्री इजहारूल हुसैन (क्षेत्र संख्या-54 किशनगंज)--क्या मंत्री, उद्योग विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि किशनगंज जिला में चाय एवं मखाना की खेती बड़े पैमाने पर की जाती है किन्तु संबंधित खाद्य प्रसंस्करण इकाई नहीं रहने के कारण यहाँ के किसानों को पड़ोसी राज्य बंगाल के कारखानों में फसलों को अनुचित मूल्य पर बिक्री करने को विवश होना पड़ता है, यदि हाँ, तो सरकार कबतक किशनगंज जिला के किसानों के हित में चाय एवं मखाना की खाद्य प्रसंस्करण औद्योगिक इकाई लगवाने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

प्रभारी मंत्री--उद्योग विभाग द्वारा कोई भी इकाई नहीं लगायी जाती है । यदि कोई उद्यमी चाय एवं मखाना प्रोसेसिंग आधारित प्लान्ट लगाना चाहते हैं तो उन्हें बिहार औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन नीति, 2016 के तहत सुविधाएँ एवं अनुदान उपलब्ध कराने का प्रावधान है । अति लघु उद्योग इकाइयों को प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य उद्यम उन्नयन योजना के तहत क्रेडिट लिंक पूँजीगत अनुदान प्रदान की जाती है ।

अतिक्रमण हटाना

*2140. श्री अली अशरफ सिद्दिकी (क्षेत्र संख्या-158 नाथनगर)--क्या मंत्री, गृह विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि पटना जंक्शन के पास अवस्थित फ्लाई ओवर सहित राज्य के विभिन्न फ्लाई ओवर/पुलों पर फेरी वाले, ऑटो वाले सहित विभिन्न प्रकार के दूकानदारों द्वारा अपनी दुकान, ऑटो/ई-रिक्शा आदि खड़ाकर अतिक्रमण कर लिया गया है जिसके कारण पुल/फ्लाई ओवर पर जाम रहता है ;

(2) क्या यह बात सही है कि पुलों/फ्लाई ओवर पर लोड मूविंग नहीं रहने के कारण पुलों की क्षमता पर प्रतिकुल प्रभाव पड़ता है ;

(3) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार राज्य के सभी फ्लाई ओवर/पुलों पर से अतिक्रमण हटाने का विचार रखती है, हाँ, तो कबतक, नहीं, तो क्यों ?

थाना (ओ0पी0) स्थापित कराना

*2141. श्री मुहम्मद इजहार असफी (क्षेत्र संख्या-55 कोचाधामन)--क्या मंत्री, गृह विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि किशनगंज जिलान्तर्गत कोचाधामन विधान सभा के प्रखंड कोचाधामन में कमलपुर पंचायत स्थित पुलिस थाना (ओ0पी0) स्थापित नहीं है जिस कारण उक्त पंचायत तथा आस-पास के लोगों को 14 किलो मीटर दूरी तय कर कोचाधामन थाना जाना पड़ता है, यदि हाँ, तो सरकार कमलपुर पंचायत में अलता ग्राम स्थित पुलिस थाना (ओ0पी0) कबतक स्थापित कराने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

जिला सैनिक बोर्ड गठन

*2142. श्री पंकज कुमार मिश्र (क्षेत्र संख्या-29 रुन्नीसैदपुर)--क्या मंत्री, गृह विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि राज्य के सैनिकों एवं भूतपूर्व सैनिकों के लिये जिला स्तर पर जिला सैनिक बोर्ड नहीं होने के कारण उन्हें एवं उनके परिवार के सदस्यों को कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है, यदि हाँ, तो सरकार राज्य के सभी जिलों में भूतपूर्व सैनिकों के लिये जिला सैनिक बोर्ड गठन करने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

प्रचार-प्रसार करना

*2143. श्री नरेन्द्र नारायण यादव (क्षेत्र संख्या-70 आलमनगर)--क्या मंत्री, सूचना एवं जन-सम्पर्क विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि जिला मधेपुरा अन्तर्गत प्रखंड चौसा के अधीन लौवासगान ग्राम पंचायत पश्चिम में दिनांक 14 अप्रील, 2023 से 16 अप्रील, 2023 तक बाबा विशुराउत स्थान में मेला प्राधिकार द्वारा बड़ा मेला लगता है जहाँ उक्त तिथि में लाखों लोग मेला में दूध चढ़ाने आते हैं, यदि हाँ, तो सरकार सूचना एवं प्रसारण विभाग द्वारा इसका प्रचार-प्रसार कराने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

मंदिरों का जीर्णोद्धार

*2144. डॉ0 निक्की हेम्ब्रम (क्षेत्र संख्या-162 कटोरिया (अ0ज0जा0))--क्या मंत्री, गृह विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि बाँका जिलान्तर्गत बौंसी प्रखंड के बौंसी मंदार पर्वत पर स्थित काशी विश्वनाथ महादेव मंदिर, लखदिप्पा मंदिर एवं मंदार पापहरनी में पंचानंद महादेव (लाल मंदिर) मंदिर लगभग 100 वर्षों से अधिक पुराना होने के कारण जीर्ण-शीर्ण अवस्था में है, यदि हाँ, तो सरकार उक्त मंदिरों का जीर्णोद्धार कबतक कराने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

कब्रिस्तान की घेराबंदी

*2145. श्री अरूण सिंह (क्षेत्र संख्या-213 काराकाट)--क्या मंत्री, गृह विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि रोहतास जिलान्तर्गत काराकाट विधान सभा क्षेत्र के काराकाट प्रखंड में नई भूमि ग्राम स्थित श्मशान एवं कब्रिस्तान एक ही जगह रहने के कारण वहाँ तनाव की स्थिति बनी रहती है, यदि हाँ, तो सरकार उक्त कब्रिस्तान की घेराबंदी कबतक कराने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

बैंक की शाखा की स्थापना

*2146. श्री प्रमोद कुमार सिन्हा (क्षेत्र संख्या-10 रक्सौल)--क्या मंत्री, वित्त विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि पूर्वी चम्पारण जिलान्तर्गत रक्सौल प्रखंड के भेलाही पंचायत के भेलाही बाजार में एक भी राष्ट्रीयकृत बैंक की शाखा नहीं होने के कारण आवासित एवं निकटवर्ती क्षेत्र के लगभग 15 हजार से अधिक की आबादी को बैंक से संबंधित कार्यों में घोर असुविधा होती है ;

(2) क्या यह बात सही है कि भेलाही बाजार नेपाल के अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर अवस्थित है, जिस कारण वहाँ व्यापार होता रहता है तथा स्थानीय जनता एवं व्यापारियों को राष्ट्रीयकृत बैंक से लेन-देन करने हेतु लगभग 10 किलो मीटर की दूरी तयकर रक्सौल बाजार जाना पड़ता है ;

(3) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो सरकार कबतक उक्त स्थान पर राष्ट्रीयकृत बैंक की शाखा स्थापित करने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

हस्तकरघा उद्योग को चालू कराना

*2147. श्रीमती बीमा भारती (क्षेत्र संख्या-60 रुपौली)--क्या मंत्री, उद्योग विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि पूर्णियाँ जिलान्तर्गत भवानीपुर प्रखंड के वसंतपुर चिन्तामणि उल्कावरी पंचायत में टार्यसन सेन्टर हस्तकरघा उद्योग, मधवापुर में 1985 ई0 में स्थापित हुआ था ;

(2) क्या यह बात सही है कि उक्त टार्यसन सेन्टर हस्तकरघा उद्योग के चालू हो जाने से क्षेत्रीय बेरोजगारों को कपड़ा बुनकर का रोजगार मिलेगा, जिससे उनकी आर्थिक स्थिति सुदृढ़ होगी ;

(3) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार हस्तकरघा उद्योग को चालू कराने का विचार रखती है, हाँ, तो कबतक, नहीं, तो क्यों ?

विचार करना

*2148. श्री ऋषि कुमार (क्षेत्र संख्या-220 ओबरा)--क्या मंत्री, उद्योग विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि औरंगाबाद जिलान्तर्गत अनुमंडल मुख्यालय, दाउदनगर में पीतल, कांसा बर्तन उद्योग बड़े पैमाने पर चलता था जो 20 वर्षों से बंद है ;

(2) क्या यह बात सही है कि ओबरा एवं दाउदनगर प्रखंडों में औद्योगिक विकास (विशेष तौर पर कृषि आधारित उद्योगों) की बहुत संभावना है ;

(3) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार दाउदनगर को औद्योगिक क्षेत्र घोषित करने का विचार रखती है, हाँ, तो कबतक, नहीं, तो क्यों ?

पुलिस पिकेट खोलवाना

*2149. श्री राजेश कुमार सिंह (क्षेत्र संख्या-104 हथुआ)--क्या मंत्री, गृह विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि गोपालगंज जिलान्तर्गत फुलवरिया प्रखंड का बलुआ बाजार काफी व्यस्तम बाजार है, जहाँ कई बार अपराधियों द्वारा गोलीबारी एवं लूट की घटना घटित हो चुकी है ;

(2) क्या यह बात सही है कि उक्त बाजार एवं आस-पास के इलाकों में दुकान लूटने एवं व्यवसायियों से रंगदारी माँगने की भी घटनाएँ हो चुकी है ;

(3) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार व्यवसायियों एवं आमजनों के हित में उक्त बाजार में पुलिस पिकेट खोलवाने का विचार रखती है, हाँ, तो कबतक, नहीं, तो क्यों ?

ठाकुरबाड़ी का जीर्णोद्धार करना

-*2150. डॉ० निक्की हेम्ब्रम (क्षेत्र संख्या-162 कटोरिया (अ०ज०जा०))--क्या मंत्री, गृह विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि बाँका जिला अन्तर्गत कटोरिया प्रखंड में बसमत्ता पंचायत के लक्ष्मीपुर एवं कटोरिया प्रखंड के जमदाहा पंचायत में जमदाहा ग्राम के ठाकुरबाड़ी लगभग 100 वर्षों से अधिक पुराना होने के कारण जीर्ण-शीर्ण अवस्था में है, यदि हाँ, तो सरकार उक्त ठाकुरबाड़ी का जीर्णोद्धार कबतक कराने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

पुलिस चौकी स्थापित कराना

*2151. श्री ऋषि कुमार (क्षेत्र संख्या-220 ओबरा)--क्या मंत्री, गृह विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि औरंगाबाद जिलान्तर्गत दाउदनगर प्रखंड के चौरी पंचायत के ग्राम-चौरी जो दाउदनगर प्रखंड के बार्डर पर अवस्थित है, से दाउदनगर थाना की दूरी लगभग 20 कि०मी० होने के कारण बराबर आपराधिक घटनाएँ घटित होती रहती है, यदि हाँ, तो सरकार कबतक उक्त स्थान पर पुलिस चौकी स्थापित कराने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

जेल का स्थापना करवाना

*2152. श्रीमती रश्मि वर्मा (क्षेत्र संख्या-3 नरकटियागंज)--क्या मंत्री, गृह विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि पश्चिम चम्पारण जिलान्तर्गत नरकटियागंज में एक भी जेल नहीं है, जिसके कारण वहां की पुलिस को काफी कठिनाई होती है, यदि हाँ, तो सरकार कबतक नरकटियागंज में एक जेल का स्थापना करवाने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

छात्रावास खोलना

*2153. श्रीमती मंजु अग्रवाल (क्षेत्र संख्या-226 शेरघाटी)--क्या मंत्री, अल्पसंख्यक कल्याण विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि गया जिलान्तर्गत आमस प्रखण्ड के हमजापुर में अल्पसंख्यक समुदाय का बाहुल्य है, जबकि वहां अल्पसंख्यक छात्रावास नहीं है, यदि हाँ, तो सरकार उक्त स्थान पर अल्पसंख्यक छात्रावास कबतक खोलने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

प्रभारी मंत्री--स्वीकारात्मक । आमस प्रखण्ड अन्तर्गत अल्पसंख्यक समुदाय की कुल आबादी 15,045 है, जो कुल आबादी का 14.32 प्रतिशत है।

राज्य सरकार द्वारा राज्य योजनान्तर्गत अल्पसंख्यक कल्याण विभाग के माध्यम से प्रत्येक जिला मुख्यालय में एक अल्पसंख्यक बालक एवं एक बालिका छात्रावास का निर्माण कराया जाता है। वर्तमान नीति के अनुसार राज्य योजनान्तर्गत प्रखंड स्तर पर छात्रावास निर्माण का प्रावधान नहीं है। गया जिलान्तर्गत एक-एक अल्पसंख्यक बालक एवं बालिका छात्रावास संचालित है।

दोषी को सजा दिलाना

*2154. श्री कृष्णनंदन पासवान (क्षेत्र संख्या-13 हरसिद्धि (अ०जा०))--क्या मंत्री, गृह विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि पूर्वी चम्पारण जिलान्तर्गत तुरकौलिया प्रखंड निवासी भारतीय आर्मी सेना जवान श्री राधामोहन गिरिको, रक्सौल थाना कांड संख्या 85, 86/23 में झुठा मुकदमा में फंसाकर बेवजह पीटा गया तथा जेल भेज दिया गया, यदि हाँ, तो सरकार कबतक उक्त कांड में निर्दोष सेना के जवान को रिहा कराते हुये दोषी को सजा दिलाने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

कार्रवाई करना

*2155. श्री विजय कुमार सिंह उर्फ डब्लू सिंह (क्षेत्र संख्या-221 नवीनगर)--दैनिक समाचार-पत्र के दिनांक 26 फरवरी, 2023 के अंक में छपी खबर शीर्षक "एक साल में पुलिस पर 450 बार हुये हमले" के आलोक में क्या मंत्री, गृह विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि वर्ष 2022 में राज्य में राज्य पुलिस पर 450 हमले किये गये जबकि वर्ष 2021 में इनकी संख्या 340 थी ;

(2) क्या यह बात सही है कि राज्य के थानों में पुलिस के संसाधनों में तथा अपराधियों पर नियंत्रण के लिये दिये जाने वाले प्रशिक्षणों में कमी के कारण पुलिस पर हमलों के मामले में बढ़ोतरी हुयी, जिससे राज्य पुलिस बल के मनोबल में गिरावट हुयी है ;

(3) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो सरकार राज्य पुलिस बल के मनोबल को बढ़ाने और हमलों में कमी लाने के लिये कौन-सी कार्रवाई करने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

कार्रवाई करना

*2156. श्री बच्चा पाण्डेय (क्षेत्र संख्या-110 बड़हरिया)--क्या मंत्री, गृह विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि सीवान जिला अन्तर्गत पंचरूखी प्रखण्ड के प्रखण्ड आपूर्ति पदाधिकारी द्वारा डीलरों की मिलीभगत से खाद्यानों की कालाबाजारी से संबंधित जी०बी० नगर, तरवारा थाना में प्राथमिकी संख्या 81/2020 दर्ज किया गया है, जिस पर आजतक कोई कार्रवाई नहीं की गयी है, यदि हाँ, तो सरकार कबतक उक्त मामले में संलिप्त अधिकारी पर समुचित कार्रवाई करने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

उद्योग का दर्जा देना

*2157. श्री अजीत शर्मा (क्षेत्र संख्या-156 भागलपुर)--क्या मंत्री, उद्योग विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि राज्य में उद्योग के तौर पर निजी अस्पताल, निजी कोचिंग संस्थान, निजी स्कूल-कॉलेज काफी संख्या में है परंतु इन्हें उद्योग का दर्जा नहीं दिये जाने के कारण एवं प्रोत्साहन के अभाव में बाहर से अच्छे-अच्छे कोचिंग संस्थान एवं स्कूल-कॉलेज आदि नहीं आ रहे हैं, यदि हाँ, तो सरकार कबतक राज्य में निजी अस्पताल, निजी कोचिंग, निजी स्कूल-कॉलेज को उद्योग का दर्जा देने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

प्रभारी मंत्री--वर्तमान में बिहार औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन नीति, 2016 प्रभावी है, जिसमें निर्धारित मापदंडों के अनुसार निजी स्पेशलिटी अस्पताल (कम-से-कम 60 बेड होना चाहिये जिसमें 30 बेड स्पेशलिटी सुविधाओं के लिये तथा 30 बेड गैर-स्पेशलिटी सुविधाओं के लिये) मल्टी स्पेशलिटी अस्पताल (जिसमें कम-से-कम 90 बेड होने चाहिये) जिसमें से कि न्यूनतम 30 बेड प्रत्येक स्पेशलिटी सुविधा के लिये तथा न्यूनतम 30 बेड गैर-स्पेशलिटी सुविधा के लिये होने चाहिए), सुपर स्पेशलिटी अस्पताल जिसमें कम-से-कम 03 प्रकार की सुपर स्पेशलिटी सुविधाएं उपलब्ध होने चाहिये । साथ ही कम-से-कम 210 बेड होने चाहिये जिसमें से कि न्यूनतम 30 बेड सुपर स्पेशलिटी तथा न्यूनतम 30 बेड (गैर-सुपर स्पेशलिटी सुविधाओं के लिये होने चाहिये) स्थापित करने वाली इकाई को हेल्थकेयर प्रक्षेत्र के अन्तर्गत प्राथमिकता सूची में रखा गया है ।

Grade A Nursing College को भी प्राथमिकता सूची में रखा गया है। इसके अतिरिक्त तकनीकी शिक्षा प्रक्षेत्र में इंजीनियरिंग कॉलेज, पॉलिटेक्निक कॉलेज (जो कि AICTE द्वारा निबंधित हो) की स्थापना से संबंधित उक्त नीति में प्रावधान किया गया है । जिसे भी प्राथमिकता सूची में रखा गया है ।

पटना :
दिनांक 20 मार्च, 2023 (ई०)।

पवन कुमार पाण्डेय,
प्रभारी सचिव,
बिहार विधान सभा ।